[2019]15 एस.सी.आर. 408

जी. एच. पी. सिंगारवेलन और अन्य आदि।

आदि बनाम जिला कलेक्टर, तिरुप्पुर एवं अन्य वगैरह

सिविल अपील नंबर– 9533–9537/2019

निर्णय दिसम्बर 18–2019

(न्यायमूर्तिगण मोहन एम. शांतनागौदर और कृष्ण मुरारी)

सेवा विधि–वेतनमान–दावा–5000 से 8000 एवं 5500 से 9000 वेतनमान के चयन ग्रेड एवं विशेष ग्रेड क्रमशः जी0 ओ 0 एम 0 161 के अनुसार लगभग 3000 वाहन चालक उक्त वेतन मान का अनुदान उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय से विभिन्न निर्णय दिया गया । तमिलनाडु के विभिन्न विभाग के अपीलकर्ता वाहन चालक समानता का दावा किया है–उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के दावा को निरस्त किया गया है। अपील में यह भी निर्धारित किया गया है कि वह व्यक्ति अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता, जो उसके समान व्यक्ति को दिया गया है, यदि प्रथम रूप से स्वयं उक्त लाभ के लिए विधिवत रूप से अधिकृत नहीं है– अनुच्छेद 14 में मात्र सकारात्मक समानता है एवं नकारात्मक समानता नहीं–तथ्यों में समान रूप से स्थापित व्यक्तियों के अतिरिक्त अपीलार्थी 5000 से 8000 एवं 5500 से 9000 के सलेक्शन ग्रेड एवं विशेष ग्रेड वेतनमान उनके द्वारा अधिकारित तौर पर प्रमाणित नहीं कर सके । शासन द्वारा नियुक्ति वाहन चालकों पर लागू वेतनमान में किए गए संशोधन के श्रंृखला के परिशीलन से वाहन चालक पर लागू होने वाले वेतनमान में किए गए संशोधन के श्रृंखला के परिशीलन से वेतनमान 4000 से 6000 एवं 4300 से 6000 क्रमशः है अतः मात्र उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय के आधार पर अपीलार्थी विधिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड एवं विशेष ग्रेड वेतनमान 5000/– रुपये से 8000/–रुपये एवं 5500 रुपये से 9000 रुपये क्रमशः के लिए अधिकृत नहीं पाए जाते । उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 जनता सामान्य अनुच्छेद 14 के आधार पर अनुतोष का दावा वह व्यक्ति अनुच्छेद 14 के तहत लाभी का दावा नहीं कर सकता जो उसके समान व्यक्ति को दिया गया है । यदि वह प्रथम रूप से स्वयं उक्त लाभ के लिए विधिवत रूप से अधिकृत नहीं है। अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता है एवं नकारात्मक समानता नहीं है। अवैधता अथवा अनियमितता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 14 का आधार नहीं लिया जा सकता । अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश के आधार पर वरिष्ठ न्यायालय की क्षेत्राधिकार में दावा नहीं किया जा सकता। निर्णय अथवा आदेश–तर्कहीन आदेश का प्रभाव अभी निर्धारित किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेश तर्क ही आदेश थे, जहां तक वह मात्र अपील करने की विशेष अनुमति न देने से संबंधित है। किसी आदेश व निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति न दिया जाना उक्त आदेश या निर्णय की पुष्टि किया जाना नहीं माना जाएगा, यदि इस न्यायालय का ऐसा आदेश सकारण नहीं है तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत विधि की श्रेणी में नहीं आयेगा वह न ही डॉक्ट्रीन ऑफ मर्जर का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

न्यायिक अनुशासन उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्धारण–पालन किए जाने वाले मापदण्ड उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के कोआर्डिनेट बेंच की दृष्टिकोण को गलत पढ़ कर पृथक दृष्टिकोण लिया गया है,

ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को आगे कार्यवाही करते हुए स्वयं मामला निराकरण न कर न्यायिक अनुशासन के न्यायहित में मामले को वरिष्ठ बेंच को रेफर कर देना चाहिए था ।

सिविल अपील को अंशतः स्वीकार करना एस 0 एल 0 पी0 डायरी क्रमांक– 42301/2017 व अन्य अपीलों को निरस्त करना न्यायालय द्वारा अधिनिर्धारित किया गया कि–

1.1 यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के द्वारा पारित सभी आदेश अकारण हैं, जहां तक वह मात्र पिटीसनर को अपील करने की अनुमति न दिए जाने से संबंधित है, यदि इस न्यायालय का ऐसा आदेश सकारण नहीं है, तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत विधि की श्रेणी में नहीं आयेगा और न ही डॉक्ट्रीन ऑफ मर्जर आकर्षित होगी– पैरा–7

1.2 एकल पीठ ने रिट पिटीशन क्रमांक–4288/2000 एवं दो न्यायाधीशों की पीठ में रिट अपील क्रमाक–383–391/2009 द्वारा आदेश दिनांक–01.10.2007 इन आधारों पर अपास्त कर दिया गया कि दावा की गई उच्च वेतनमान पूर्व से ही दे दी गई है एवं विभिन्न विभाग के वाहन चालकों द्वारा जी0 ओ 0 एस 0 क्रमांक– 162 के अनुसार प्राप्त की जा रही है ।

यह भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पत्र दिनांक–31.12.1998 में उच्च वेतन मान निर्धारित किए गए उनको गलत माना गया का प्रभाव वाहन चालक के अधिकार को कम करना नहीं होगा क्योंकि ऐसा पत्र का प्रभाव जी0 ओ 0 के संशोधन का विकल्प नहीं हो सकता। यद्यपिं न्यायालय द्वारा सरल क्रमा क–8 अनुसूचि क्रमांक–2 नियम 1998 के अंतर्गत उच्च वेतनमान देने का विनिर्दिष्ट निर्देश नहीं दिया गया है परन्तु न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में वेतनमान जी0 ओ 0 क्रमांक–162 के अधीन वेतनमान निर्धारित करना समाहित है । इसको शब्दों में कहा जाए तो उच्च न्यायालय ने रिट अपील क्रमांक–383, 391/2009 में वाहन चालकों की 5000 से 8000 एवं 5500 से 9000 क्रमशः भी सेलेक्शन एवं विशेषग्रेड के दावों को स्वीकार नहीं किया गया। प्रश्नगत निर्णय में उच्च न्यायालय मात्र तत्व में केन्द्रित रहा कि न्यायालय को को–आर्डिनेंट बेंच द्वारा दिलाए गए निराकरण जी0 ओ 0 एस 0 क्रमांक– 162 के अंतर्गत वेतनमान निर्धारित करने के लिए उचित है, इस आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा वेतनमान अधिकारी प्रश्न का निर्धारण कर दिया गया एवं को–आर्डिनेंट बेंच के उक्त आदेश के एकदम विपरीत दृष्टिकोण लिया गया कि वाहन चालक अपलर की मात्र सलेक्शन ग्रेड एवं स्पेशल ग्रेड वेतनमान में क्रमशः 4000 से 6000 एवं 4300 से 6000 के लिए अधिकृत है, इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा को–आर्डिनेंट बेंच के उक्त निर्णय की बहुत ही संकृण व्याख्या की गई एवं उक्त निर्णय में दिलाए गए उच्च वेतनमान हेतु देने हेतु समाहित निर्देशों को समझने में भूल कारित की गई।

अतः यह दर्शित होता है कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में को–आर्डिनेंट बेंच से भिन्न दृष्टिकोण लिया है एवं उनके आदेश को गलत पढ़ा गया है, यदि उच्च न्यायालय को–आर्डिनेंट बेंच के रिट अपील क्रमांक– 383–391/2009 में दिए गए अभिमत से सहमत नहीं थी, तो उसे मामला स्वयं निराकृत नहीं करना चाहिए था एवं न्यायिक अनुशासन नियमावली के तहत मामले को वरिष्ठ बेंच को रिफर कर देना चाहिए। मामले के शीघ्र निराकरण के लिए उच्च न्यायालय को पुनः इस स्तर में मामला रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

1.3 समान स्थान के साथ समानता का दावा करने वाला व्यक्तिगत रूप से इसके अलावा अपीलार्थी यह भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहा कि क्यों और कैसे सेलेक्शन ग्रेड व विशेष ग्रेड के वेतनमान रुपये 5000 से 8000 और रुपये 5300 से 9000 जैसा कि रुल 1998 के अनुसूचि 2 के क्रमांक–8 में वर्णित के अनुसार हकदार हैं। जी0 ओ 0 एम 0 एस 0 संख्या 162 के संदर्भ में दूसरी ओर राज्य सरकार के कार्यरत चालकों के लिए वेतनमान संशोधन श्रृंखला पर विचार करने पर नियम 1998 के अनुसूचि 2 के क्रमांक–6 के अनुसार 4000 से 6000 रुपये और 4300 से 6000 रुपये क्रमशः लागू होंगे। (पैरा 20) (423 सी–डी)

1.4 अपीलार्थी के वेतनमान का पता वित्त विभाग के पत्र दिनांक–27.06.1989 के जी0 ओ 0 एम 0 एस 0 नम्बर 666 से लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने तमिलनाडु में संशोधित वेतनमान जारी किए। नियम 1989 के तहत तमिलनाडु में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिसों को लागू करना इन नियमों मूल नियमों के तहत 30 समान श्रेणियों के पदों के संशोधन वेतनमान निर्दिष्ट किया गया। चालकों के लिए वेतनमान सिरियल नम्बर–11 पर इस नियम के अनुसूचि 2 के प्रथम भाग में है, जो पुनरिक्षित वेतन मान रुपये 610–1075 से 950 से 1500 के रूप में किए गए अगला पुनरीक्षण जी0 ओ0 एम 0 एस 0 नम्बर 818 वित्त दिनांक–9/9/1989 के माध्यम से आया, जिसके द्वारा चालक को वेतनमान बढ़ कर 975 से 1660 व बाद में जी0 ओ 0 एम 0 एस 0 नम्बर– 304 वित्त विभाग के पत्र दिनांक–28/03/1990 के द्वारा विशेष श्रेणी व चयन श्रेणी का वेतनमान उन व्यक्तियों को दिया गया, जिनका अवधि सेवा 10 वर्ष व 20 वर्ष पुरी हो गई है। चालक के पद के लिए सामान्य ग्रेड वेतनमान रुपये 975–1660 विशेष श्रेणी व चयन श्रेणी के कोष्टक जो निश्चित से रुपये 1200 से 2040 व रुपये 1300 से 2040 अंतिम थी, जब जी0 ओ 0 एम 0 एस 0 नम्बर 162 के द्वारा रुल 1998 स्थापित किया गया तो पद के अनुसार वेतनमान का निर्धारण किया गया व उसके स्थान पर वेतनमान से वेतनमान निर्धारित किया गया। कथित नियम के प्रथम अनुसूची में पहले में ही ड्राईवर के लिए लागू पुनरीक्षित, वेतनमान 975–1600 रुपये के स्थान पर 3200–4900 रुपये लागू किया गया। इसकी सुसंगतता के परिप्रेक्ष्य में अनुसूची 2 में चयन व विशेष श्रेणी के लिए क्रमशः 4000–6000 व 4300–6000 है। (पैरा 20–1–20–3) (423–डी0–एच) (424–ए)

1.5 प्रत्यर्थी के निवेदन का सार यह है कि अपीलार्थी विधिपूर्ण तरीके से चयन श्रेणी एवं विशेष श्रेणी के वेतनमान 5000–8000 और 5300 से 9000 के अधिकारी जीओ 0 एम 0 एस 0 नम्बर 162 के तारतम्य में अधिकारी नहीं है। (पैरा 121) (424–बी)

1.6 उच्च न्यायालय का आलोच्य आदेश इस निराकरण में सही है कि अपीलार्थी अनुच्छेद 14 के बल से किसी अनुरोध का दावा नहीं कर सकते हैं। जब एक बार यह पाया गया कि वे विधिपूर्वक हकदार किसी दावा के बारे में नहीं है, तब विधि में यह स्थापित है कि जब एक बार व्यक्ति सामान्यता किसी स्थान में अनुच्छेद 14 के तहत लाभ प्राप्त करने की अधिकारी किसी स्थान पर नहीं है, जबकि वह प्रथम स्थान में लाभ प्राप्त नहीं करता है। अनुच्छेद 14 केवल सकारात्मक समानता की अवधारणा को मूर्त रूप देता है न कि सकारात्मक समानता अर्थात् किसी अवैधता या अनियमितता को बनाए रखने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वास्तव में इस

न्यायालय ने यह राय दी कि इस सिद्धांत का विस्तार न्यायिक मंचो तक फैला रहे हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निचले मंच द्वारा पारित गलत आदेश के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। (पैरा–23) (424–डी–ई)

निर्देशित न्याय दृष्टांत वासव राज बनाम भू–अर्जन अधिकारी (2013)14 एस 0 सी0 सी0 81(2013)8 एस 0 सी0 आर 0 227, ओड़िसा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति (2019)12 स्केल 386 का उल्लेख किया गया ।

1.7 अपीलार्थी चयन श्रेणी का दावा नहीं कर सकते हैं और रुपये के वेतनमान में विशेष ग्रेड व चयन ग्रेड 5000–8000 रुपये व 5500–9000 क्रमशः केवल पहले निर्णय के बल पर उच्चतम न्यायालय को यह बताए बिना कि वे स्वयं इस तरह के लाभ के हकदार कैसे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को केवल चयन श्रेणी की व्यय दिया जा सकता है व विशेष वेतनमान के लिए जी0 ओ 0 एम 0 एस 0 संख्या 162 यानि वेतनमान 4000–6000 और रुपये 4300 से 6000 रुपये क्रमशः उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है । (पैरा 24–25) (414–डी0–आई 0)

2. जहां तक सिविल अपील एलियास एस 0 एल 0 पी0 (डायरी नम्बर–4230/2017) का संबंध है, तो चालक किसी पदोन्नति के लाभ का हकदार नहीं है, इस तरह साक्ष्य के तौर पर उच्च न्यायालय ने यह सही तौर पर अवधारित किया है कि चालक नियम 1998 के अनुसूचि 2 के अंतर्गत ही समुचित वेतनमान प्राप्त करने के योग्य हैं, हालाकि निष्कर्ष है कि जो व्यक्ति ड्राईवर के पद पर नियोजन में तमिलनाडु सरकार के अध्याधीन है वे केवल सामान्यतया विशेष श्रेणी एवं चयन श्रेणी के वेतनमान 3200 से 4900 रुपये वह 4000 से 6000 रुपये और 4300 से 6000 नियम 1998 के अनुसूचि 2 के क्रमांक 6 के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः यह भी निर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अनुसूचि 2 के क्रमसंख्या 8 के परिप्रेक्ष्य में नियोजित चालकों को इस तरह के वेतनमान निर्धारण करने में निर्देश देने में गलती की है । चयन श्रेणी और विशेष श्रेणी के वेतनमान 5000–8000 और 5300–9000 के परिप्रेक्ष्य में लागू करे । इस अपील में राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि नियम 1998 के श्रेणी 2 के क्रमांक 6 के तहत प्रत्यर्थियों को वेतनमान का लाभ उपलब्ध करायें । (पैरा 5, 6) (426–ई 0–जी0)

कन्हैया लाल विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला (2000)6 एस 0 सी0 सी0 359, खोडे डिस्टिलरीज विरुद्ध श्री महादेश्वरा सहाकरा सक्कारे कारखाने लिमिटेड (2019)4 एस 0 सी0 सी0 76– निर्देशित/संदर्भित ।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत

(2000)1 अनुपूरक एम 0 सी0 आर 0 संदर्भित पैरा 7

(2019)3 एस 0 सी0 आर 0 411 संदर्भित पैरा 7

(2013)8 एस 0 सी0 आर 0 227 संदर्भित पैरा 21

(2019)12 स्केल 386 संदर्भित पैरा 23

व्यवहारिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता अपील नम्बर–95–33–9537/2019

मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से रिट अपील नम्बर–2073, 1605, 30359, 33869 व 291/13 निर्णय व आदेश दिनांक–08.07.2015

सिविल अपील नम्बर–9538–9546, 9547–95–49, 9551–9559, 9560–9561/2019

विजय नारायण एडव्होकेट जनरल, बालाजी श्रीनिवासन एडिसनल एडव्होकेट जनरल, वासव प्रभू, एस 0 पाटिल, के0 एन 0 बासा सिनियर एडव्होकेट, श्रीमती गरिमा जैन, जी0 विजेश्वरन, टी0 आर 0 बी0, शिवकुमार, एम 0 रवि जोसेफ, एरोसटोटल, श्रीमती प्रिया एरोसटोटल, श्रीमती स्नेह चिनमय देशपाण्डे, बी करमा करन निखिल गोस्वामी, श्रीमती जसवन्ती, श्रीमती पुरबित्रा मित्रा, के0 बी0 विजय कुमार, एस 0 गोथामान, विनोद खन्ना बी, लेनिन राजेश्वर, ए 0 एम 0 योगेश खन्ना, एम 0 राज, राजशेखरन, बी बालाजी लक्ष्मी नारायण, गौतम नारायण, श्रीमती अस्मिता सिंह, आदित्य नैयर, एडव्होकेट पक्षकारों के लिए उपस्थित हुए।

न्यायालय का निर्णय– न्यायाधीश (मोहन एम 0 शान्तानु गौदर)

बी. सिविल अपील / एस 0 एल 0 पी0 सिविल एन 0 ओ 0 एस 0–5395–5399/2016

सिविल अपील / एस 0 एल 0 पी0 सिविल एन 0 ओ 0 एस 0–5605–5613/2016

सी. सिविल अपील / एस 0 एल 0 पी0 सिविल एन 0 ओ 0 एस 0–5391–5393/2016

सिविल अपील / एस 0 एल 0 पी0 सिविल एन 0 ओ 0 एस 0–5367–5375/2016

1. अनुमति स्वीकार–

2. ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 08.07.2015 के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें राज्य प्राधिकारियों के रूप में प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट अपीलों को अनुमति दी गई है, और यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों में उनके लिए लागू चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान के संबंध में ड्राइवर होना।

3. अपीलकर्ता, संक्षेप में, रुपये के ब्रैकेट में चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान देने का दावा कर रहे हैं। 5000–8000 और रु. जीओ एम.एस संख्या 162, वित्त (वेतन कक्ष) विभाग दिनांक 13.04.1998 (संक्षेप में "जीओ एम.एस संख्या 162") के अनुसार क्रमशः 5500–9000, जो लगभग 3000 समान कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। अपीलकर्ता इस न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं और अपीलों में याचिकाकर्ताओं को समान वेतनमान प्रदान करने वाले विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय इन निर्णयों में अपनाए गए सुसंगत दृष्टिकोण से ग़लती से भिन्न है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने आक्षेपित निर्णय के पक्ष में तर्क देते हुए दावा किया कि कुछ ड्राइवरों (जिनमें से मुकदमों का पूरा समूह उत्पन्न हुआ) को दावा किए गए वेतनमान का प्रारंभिक अनुदान केवल एक त्रुटि के कारण था। कुछ सरकारी विभागों में अधिकारियों का हिस्सा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि लागू वेतनमान रु. 4000– 6000 और रु. चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड के लिए क्रमशः 4300–6000।

5. यह हमारे ध्यान में आया है कि इस न्यायालय की कई पीठों ने संबंधित ड्राइवरों के वेतनमान को रुपये पर तय करने वाले उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ एसएलपी को खारिज कर दिया है। चयन ग्रेड के लिए 5000–8000 रुपये। जीओ एम.एस संख्या 162 के संदर्भ में विशेष ग्रेड के लिए 5500–9000। हम इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख करना उचित समझते हैं:

डब्ल्यू. ए. संख्या 67 of 2012	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14715 of 2012	10.09.2012 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 383 of 2009	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 35969 of 2009	25.02.2015 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 391 of 2009	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6522 of 2010	25.02.2015 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 382 to 388 of 2009	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6523–6530 of 2010	25.02.2015 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 462 of 2012 डब्ल्यू ए संख्या 24912 of 2010 डब्ल्यू ए संख्या 383–391 of 2009	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 22491 of 2012	25.02.2015 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 29119–2012	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 33037 of 2013	25.02.2015 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 791 and 792 of 2013 डब्ल्यू ए संख्या 2929 and 2930 of 2012	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 33588 of 2013	25.02.2015 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 130, 131, 132 of 2011	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12886–12888 of 2013	19.07.2013 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 2243 of 2012	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6602 of 2013	27.09.2013 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 526 of 2013	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14007 of 2013	21.08.2013 को ख़ारिज
डब्ल्यू ए संख्या 24899 of	विशेष अनुमति याचिका (सिविल)	06.02.2017 को ख़ारिज

2014	संख्या 34265 of 2014	

6. जो भी हो, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय के उपरोक्त सभी आदेश प्रवेश के चरण में ही पारित किए गए थे। यहां तक कि मुख्य मामले के रूप में एसएलपी (सी) संख्या 35969/2009 वाली अपीलों के एक बैच से निपटने के दौरान इस न्यायालय की 3–न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित दिनांक 25.02.2015 के आदेश में इस प्रकार कहा गया है:

"वकील की बात सुनने के बाद अदालत ने निम्नलिखित आदेश को खारिज कर दिया।"

7. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी आदेश गैर–बोलने वाले आदेश थे, हालांकि वे याचिकाकर्ताओं को अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने तक ही सीमित थे। इस समय, यह याद रखना उपयोगी है कि यह अच्छी तरह से तय है कि निचले मंच के आदेश या फैसले के खिलाफ एसएलपी को खारिज करना इसकी पुष्टि नहीं है। यदि इस न्यायालय का ऐसा कोई आदेश निरर्थक है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून की घोषणा नहीं करता है, या विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। कुन्हायमद बनाम केरल राज्य , (2000) 6 एससीसी 359 में इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित चर्चा इस संबंध में प्रासंगिक है:

"(i) जहां किसी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्च मंच के समक्ष अपील या पुनरीक्षण प्रदान किया जाता है और ऐसा श्रेष्ठ मंच उसके समक्ष रखे गए निर्णय को संशोधित, उलट या पुष्टि करता है, तो अधीनस्थ मंच द्वारा निर्णय श्रेष्ठ मंच द्वारा निर्णय में विलय हो जाता है और यह बाद वाला है जो अस्तित्व में रहता है, क्रियाशील रहता है और कानून की नजर में प्रवर्तन में सक्षम होता है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार दो चरणों में विभाजित है। पहला चरण अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति हेतु प्रार्थना के निपटान तक है। दूसरा चरण तब शुरू होता है जब अपील करने की अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में बदल दिया जाता है।

(iii) विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। यह श्रेष्ठ मंच द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की प्रकृति पर निर्भर करेगा और रखी गई या दी जाने वाली चुनौती की सामग्री या विषय–वस्तु विलय की प्रयोज्यता का निर्धारक होगी। वरिष्ठ क्षेत्राधिकार को उसके समक्ष जारी आदेश को उलटने, संशोधित करने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उस निर्णय–डिक्री या आदेश को उलट, संशोधित या पुष्टि कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई है, न कि अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका का निपटारा करते समय विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय । इसलिए विलय का सिद्धांत पहले पर लागू किया जा सकता है, बाद वाले पर नहीं।

(iv) अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश गैर–बोलने वाला या बोलने वाला आदेश हो सकता है। किसी भी स्थिति में यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। अपील के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यायालय अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था।

(v) यदि अपील करने की अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश एक बोलने वाला आदेश है यानी छुट्टी देने से इनकार करने का कारण बताता है, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं। सबसे पहले, आदेश में निहित कानून का विवरण संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा है। दूसरे, कानून की घोषणा के अलावा, आदेश में जो कुछ भी कहा गया है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हैं जो संबंधित पक्षों और अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी को न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की किसी भी कार्यवाही में बाध्य करेंगे। न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी का आदेश विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश में विलय हो गया है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश न्यायिक के रूप में बाध्यकारी एकमात्र आदेश है। पार्टियों के बीच बाद की कार्यवाही में।

(vi) एक बार अपील की इजाजत दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू कर दिया गया है तो अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा; आदेश उलटने, संशोधन या केवल पुष्टिकरण का हो सकता है।

(vii) किसी अपील को प्राथमिकता दिए जाने पर या अपील की अनुमति मांगने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में परिवर्तित कर दिए जाने पर समीक्षा याचिका पर विचार करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जैसा कि उप–नियम (1) द्वारा प्रदान किया गया है। आदेश 47 नियम 1 सीपीसी।" (जोर दिया गया) इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय के कई निर्णयों में भी अपनाया गया है, जिसमें खोडे डिस्टिलरीज बनाम श्री महादेश्वरा सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड , (2019) 4 एससीसी 376 में हालिया निर्णय भी शामिल है।

8. इन टिप्पणियों को वर्तमान मामले में लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि देश के कानून का गठन करने वाले इस न्यायालय द्वारा जीओ एम.एस संख्या 162 की व्याख्या के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में, यह हमारे लिए खुला है यहां अपीलकर्ताओं के समान रखे गए ड्राइवरों को राहत देने के खिलाफ एसएलपी को खारिज करने वाले इस न्यायालय के पूर्व आदेशों से प्रभावित हुए बिना तत्काल अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना।

9. यह स्पष्ट है कि इस मामले में पूरा विवाद जीओ एम.एस संख्या 162 की व्याख्या पर निर्भर करता है। इस आदेश के तहत, तमिलनाडु संशोधित वेतनमान नियम, 1998 (संक्षेप में "1998 नियम") को अधिसूचित किया गया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए वेतनमान–से–वेतनमान के आधार पर 25 मानक वेतनमानों को संशोधित करना। जबकि 1998 के नियमों की अनुसूची । में संशोधित वेतनमान का संकेत दिया गया था, अनुसूची ।। में प्रत्येक संशोधित साधारण ग्रेड के लिए लागू चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान निर्दिष्ट किया गया था। इसके अलावा, जीओ के पैराग्राफ 4 में यह कहा गया था कि बिना पदोन्नति के अवसरों वाले पदों के लिए, अनुसूची ।। में बताए अनुसार चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड स्केल लागू होंगे।

10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों में ड्राइवर अनुसूची । के अनुसार संशोधित साधारण ग्रेड वेतनमान के हकदार थे। इसके अलावा, चूंकि उनके पास पदोन्नति के कोई अवसर नहीं थे, इसलिए चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान नहीं थे। अनुसूची ।। तब लागू होगी जब वे क्रमशः 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे। यहां विवाद ड्राइवरों के पद पर लागू अनुसूची । और ।। के तहत प्रविष्टियों के संबंध में

है। उत्तरदाताओं का कहना है कि 1998 के नियमों के तहत वेतनमान में संशोधन से पहले, ड्राइवर रुपये के वेतनमान के हकदार थे। 975–1660 जैसा कि जीओ संख्या 818, वित्त, दिनांक 09.09.1989 द्वारा निर्धारित किया गया है। तदनुसार, 1998 नियमों की अनुसूची । के तहत संबंधित संशोधित साधारण ग्रेड वेतनमान नीचे प्रविष्टि संख्या XX के अनुसार होगा:

अनुसूची–। वेतनमानों की सूची ग्रौ मौजूदा वेतनमान संशोधित वेतनमान पी (2) (3) रु. रु.

ग्रुप –1	मौजूदा स्केल (2)	संशोधित स्केल (3)
I	5500–200–6500	17400–500–21900
II	5100–150–5700	16400–450–20000
III	4500–150–5700	15000–400–18600
IV	4100–125–4850–150–5300	14300–400–18300
V	3950 –125–4700–150–5000	12750–375–16500
VI	3700–125–4700–150–5000	12000–375–16500
VII	3000–100–3500–125–4500	10000–325–15200
VIII	2500– 75–2800– 100–4200	9100–275–14050
IX	2200–75–2800–100–4000	8000–275–13500
X	2000–60–2300–75–3200–100–3500	6500–200–11100
XI	2000–60–230 0–75 –3200	6500–200–10500
XII	1820–60–2300–75–3200	5900–200–9900
XIII	1640–60–2600–75–2900	5500–175–9000
XIV	1600–50–2300–60–2660	5300– 150 –8300
XV	1400–40–1600–50–2300–60–2600	5000–150–8000
XVI	1350–30–1440–40–1800–50–2200	4500–125–7000
XVII	1320–30–1560–40–2040	4300–100–6000
XVIII	1200–30–1560–40–2040	4000–100–6000
XIX	1100–25–1150–30–1660	3625–85–4900
XX	**975–25–1150–30–1660**	**3200–85–4900**
XXI	950–20–1150–25–1500	3050–75–3950–80–4590
XXII	825–15–900–20–1200	2750–70–3800–75–4400

XXIII	800–15–1010–20–1150	2650– 65–3300–70–4000
XXIV	775–12–835–15–1030	2610–60–3150–65–3540
XXV	750–12–870–15–945	2550–55–2660–60–3200

(बल दिया गया)

11. इस पर भरोसा करते हुए, उत्तरदाताओं का कहना है कि ड्राइवर रुपये के संशोधित साधारण ग्रेड वेतनमान के हकदार हैं। मात्र 3200– 4900। जहां तक लागू चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान का संबंध है, उत्तरदाताओं का दावा है कि अपीलकर्ता रुपये के वेतनमान के हकदार हैं। 4000–6000 और रु. अनुसूची II के क्रमांक 6 के अनुसार क्रमशः 4300–6000, जो अनुसूची I की प्रविष्टि संख्या XX के अनुरूप है। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे संशोधित चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान रुपये के हकदार हैं। . 5000–8000 और रु. अनुसूची II के क्रमांक 8 के अनुसार क्रमशः 5500–9000। इस संबंध में अनुसूची II का संदर्भ लेना उपयोगी होगा:

अनुसूची – II संशोधित चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान क्र. साधारण ग्रेड (2) चयन ग्रेड विशेष ग्रेड संख्या (3) (4) .

क्रम संख्या (1)	**सामान्य ग्रेड (2)**	**चयन ग्रेड (3)**	**विशेष ग्रेड (4)**
1	2550–55–2660–60–3200	2650–65–3300–70–4000	2750–70–3800–75–4000
2	2610–60–3150–65–3540	2750–70–3800–75–4400	3050–75–3950–80–4590
3	2650–65–3300–70–4000	3050–75–3950–80– 4590	3200–85–4900
4	2750–70–3800–75–4400	3050–75–3950–80– 4590	3200–85–4900
5	3050–75–3950–80–4590	4000–100–6000	4300–100–6000
6	**3200–85–4900**	**4000–100–6000**	**4300–100–6000**
7	3625–85–4900	4300–10 0–6000	4500 –125–7000

8	**4000–100–6000**	**5000–150–8000**	**5500–175–9000**
9	4300–100–6000	5000–150–8000	5500–175–9000
10	4500–125–7000	5300–15 0–8300	5900–200 –9900
11	5000–150–8000	5500–175–9000	6500–200–10500
12	5300–150–8300	6500–200–10500	8000–275–13500
13	5500–175–9000	6500–2 00–10500	8000–275–13500
14	5900–200–9900	8000–275–13500	9100–275–14050
15	6500–200–10500	8000–275–13500	9100–275–14050
16	6500–200–11100	9100–275 –14050	10000–325–15200
17	8000 –275–13500	9100–275–14050	10000–325–15200
18	9100–275–14050	10000–325–15200	12000–375–16500

(बल दिया गया)

12. दरअसल, पूरे विवाद की उत्पत्ति अनुसूची II के क्रम संख्या 8 के अनुसार कुछ स्थानीय विभागों द्वारा कुछ ड्राइवरों के चयन और विशेष ग्रेड वेतनमान के निर्धारण में निहित है। इसके अनुसरण में, सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने सभी सरकार सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र संख्या 96900/पीसी/98–2 दिनांक 31.12.1998 जारी किया , इस आधार पर कि ऐसे निर्धारण गलत थे और आवश्यक थे जहां भी अधिक भुगतान किया गया हो, वहां वसूली करने के निर्देश के साथ समीक्षा की जाएगी।

13. 2006 में, सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (ई) विभाग ने चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान रुपये पर तय करने की मांग करने वाले तमिलनाडु सरकार विभाग ड्राइवर्स सेंट्रल एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया। 5000–8000 और रु. क्रमशः 5500–9000, एलआर में कार्यवाही के माध्यम से। क्रमांक 13921/के/2005–1 दिनांक 25.04.2006। इसे ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा 2006 के डब्लूपी संख्या 34800 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि उक्त कार्यवाही में जीओ एम.एस संख्या 162 का उल्लेख नहीं था। एसोसिएशन को एक नया प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया गया था वित्त विभाग के समक्ष, जीओ एम.एस संख्या 162 के अनुसार निर्णय लिया जाना है।

14. हालाँकि, इस तरह के अभ्यावेदन को वित्त विभाग द्वारा पत्र संख्या 63685/सीएमपीसी/2006–1, दिनांक 01.10.2007 द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो इस प्रकार है: –

"3. इसलिए, ड्राइवर सामान्य ग्रेड स्केल के आधार पर जीओ एम.एस संख्या 162, वित्त (पीसी) विभाग, दिनांक 13–4–98 की अनुसूची– II में दिए गए आदेश के अनुसार चयन ग्रेड / विशेष ग्रेड वेतनमान के हकदार

हैं । ड्राइवर के पदों पर वेतन स्वीकृत। इस प्रकार, 3200–4900 रुपये के सामान्य ग्रेड वाले ड्राइवरों के समान सभी श्रेणियां क्रमशः 4000–6000 रुपये के चयन ग्रेड और 4300–6000 रुपये के विशेष ग्रेड के लिए पात्र हैं। उपरोक्त सरकारी आदेश आधिकारिक समिति, 1998 की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है और ड्राइवरों को उद्धृत सरकारी आदेश में दिए गए लाभों से वंचित नहीं किया गया है। इसलिए, आपके अनुरोध पर अनुरोध के अनुसार विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।"

15. उपरोक्त आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का एक बैच बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। इन रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने WP संख्या 4288/2008 और उससे जुड़े मामलों में दिनांक 30.09.2008 के फैसले के तहत जीओ एम.एस संख्या 162 के अनुसार वेतनमान तय करने के निर्देश के साथ अनुमति दी थी। इसकी पुष्टि की गई थी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने WA संख्या 383–391/2009 में दिनांक 01.09.2009 के फैसले के तहत।

16. इसके बाद, समान रूप से स्थित अन्य ड्राइवरों द्वारा समान उच्च वेतनमान का लाभ मांगने के लिए कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं को ऊपर चर्चा किए गए पिछले निर्णयों के आधार पर भी अनुमति दी गई थी, जिसमें डब्ल्यूपी नंबर 1418/2001 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.11.2013 के फैसले और उससे जुड़े मामलों और आक्षेपित के उल्लेखनीय अपवाद थे। यहाँ निर्णय.

17. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि ड्राइवर उच्च दावा किए गए वेतनमान के हकदार नहीं थे, ये दो निर्णय जीओ एम.एस संख्या 162 की जांच और देय वेतनमान के पूर्व इतिहास के आधार पर पिछले निर्णयों और आदेशों में लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण से भिन्न थे। ड्राइवरों को. उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसलों से मतभेद को उचित ठहराया कि डब्ल्यूपी नंबर 4288/2008 (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश या डब्ल्यूए नंबर 383–391 में डिवीजन बेंच द्वारा कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया था। /2009, रुपये का चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान प्रदान करना। 5000–8000 और रु. क्रमशः 5500– 9000. इन उच्च वेतनमानों को प्रदान करने वाली बाद की रिट याचिकाओं के संबंध में, यह नोट किया गया था कि उन्हें प्रवेश चरण में ही निपटा दिया गया था (कुछ मामलों में सरकार को नोटिस दिए बिना भी) और इस प्रकार उनकी उपेक्षा की जा सकती है।

18. उच्च न्यायालय की पूर्व समन्वित पीठों द्वारा अपनाए गए सुसंगत दृष्टिकोण से आक्षेपित निर्णय में इस विचलन को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या उच्च न्यायालय को इस मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजना चाहिए था। यह WP संख्या 4288/2008 (सुप्रा) में एकल न्यायाधीश और WA संख्या 383–391/2009 में डिवीजन बेंच के फैसलों को करीब से पढ़ने लायक है । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इन निर्णयों में न्यायालयों के समक्ष मुख्य मुद्दा वित्त विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2007 की वैधता थी, जिसमें चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान के लिए ड्राइवरों के संघ के दावे को खारिज कर दिया गया था। 5000–8000 और रु. क्रमशः 5500–9000.

18.1 डब्ल्यूपी संख्या 4288/2008 (सुप्रा) में एकल न्यायाधीश और डब्ल्यूए संख्या 383–391/2009 में डिवीजन बेंच दोनों ने इस तथ्य के आधार पर दिनांक 01.10.2007 के आदेश को रद्द कर दिया कि दावा किया गया उच्च वेतनमान पहले ही प्रदान किया जा चुका था। और जीओ एम.एस संख्या 162 के अनुसार, कई सरकारी विभागों में कुछ अन्य ड्राइवरों द्वारा अभी भी प्राप्त किया जा रहा था। इसके अलावा, और अधिक महत्वपूर्ण बात

यह है कि यह माना गया कि दिनांक 31.12.1998 का पत्र जिसमें इस तरह के उच्च वेतनमान निर्धारण को गलत माना गया था , ड्राइवरों की पात्रता को कम करने का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पत्र जीओ के संशोधन के विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार, भले ही न्यायालय ने 1998 के नियमों की अनुसूची II के क्रम संख्या 8 के अनुसार उच्च वेतनमान देने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, हम पाते हैं कि वेतनमान तय करने के लिए न्यायालय के निर्देशों में यह अंतर्निहित था। जीओ एम.एस संख्या 162 का। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूए संख्या 383–391/2009 में ड्राइवरों के दावे की पुष्टि नहीं की कि वे उच्च चयन और विशेष ग्रेड वेतनमान के हकदार थे। रु. 5000–8000 और रु. क्रमशः 5500–9000. 18.2 हालांकि, आक्षेपित फैसले में, उच्च न्यायालय ने केवल इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि डब्ल्यूए संख्या 383–391/2009 में समन्वय पीठ द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष केवल जीओ एम.एस संख्या 162 के तहत वेतनमान के उचित निर्धारण के लिए था, और रुपये के चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान देने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं था। 5000–8000 और रु. क्रमशः 5500–9000. इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने वेतनमान पात्रता के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े और WA संख्या 383–391/2009 में समन्वय पीठ के विचार के बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें पाया गया कि अपीलकर्ता–ड्राइवर केवल चयन के हकदार थे। ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान रु. 4000–6000 और रु. क्रमशः 4300–6000. हमारी सुविचारित राय में, ऐसा दृष्टिकोण WA संख्या 383–391/2009 में समन्वय पीठ के निर्णय के एक संकीर्ण अध्ययन पर आधारित है, क्योंकि यह उच्च वेतनमान देने के लिए इस आदेश में निहित निर्देश की सराहना करने में विफल रहता है। ड्राइवर, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय गलत व्याख्या के आधार पर पहले एक समन्वय पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न था। ऐसी स्थिति में, एक बार जब उच्च न्यायालय को यह पता चला कि वह WA संख्या 383– 391/2009 में अपनी समन्वय पीठ के फैसले से असहमत है, तो उसे मामले को स्वयं तय करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, और न्यायिक अनुशासन के हित में, इसके बजाय मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए था।

19. जैसा भी हो, मामले के शीघ्र निपटान के हित में, हम इस स्तर पर मामले को नए विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेजना उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार, हम तदनुसार गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।

20. हमारी सुविचारित राय में, समान पद वाले व्यक्तियों के साथ समानता का दावा करने के अलावा, अपीलकर्ता यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि वे कैसे और क्यों चयन ग्रेड और रुपये के विशेष ग्रेड वेतनमान के हकदार हैं। 5000–8000 और रु. 5500– 9000 जैसा कि 1998 के नियमों की अनुसूची II के क्रम संख्या 8 में जीओ एम.एस संख्या 162 के संदर्भ में निर्दिष्ट है। दूसरी ओर, नियोजित ड्राइवरों के लिए लागू वेतनमान में किए गए संशोधनों की श्रृंखला पर गौर करें। राज्य सरकार, हमने पाया है कि चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड के लिए लागू वेतनमान 1998 के नियमों की अनुसूची II के क्रम संख्या 6 के अनुसार होगा, यानी रु। 4000–6000 और रु. क्रमशः 4300–6000.

20.1 जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया है, अपीलकर्ताओं के वेतनमान का पता जीओ एम.एस संख्या 666, वित्त दिनांक 27.06.1989 से लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने तमिलनाडु संशोधित वेतनमान जारी किया था। पांचवें तमिलनाडु वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले

नियम, 1989। इन नियमों के तहत 30 सामान्य श्रेणियों के पदों के मूल और संशोधित वेतनमान निर्दिष्ट किए गए थे। इन नियमों की अनुसूची के पहले भाग में ड्राइवरों के लिए वेतनमान का उल्लेख क्रम संख्या 11 में किया गया था, जिसे रुपये से संशोधित किया गया है। 610–1075 से रु. 950–1500. 20.2 अगला संशोधन जीओ एम.एस संख्या 818, वित्त, दिनांक 09.09.1989 के माध्यम से आया, जिसके तहत ड्राइवरों का वेतनमान बढ़ाकर रु। 975–1660. बाद में, जीओ एम.एस संख्या 304, वित्त दिनांक 28.03.1990 के तहत, विशेष ग्रेड और चयन ग्रेड वेतनमान उन व्यक्तियों के लिए पेश किए गए जिन्होंने क्रमशः 10 साल और 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी। साधारण ग्रेड वेतनमान वाले ड्राइवरों के पद के लिए रु। 975–1660, चयन और विशेष ग्रेड ब्रैकेट रुपये के रूप में निर्धारित किए गए थे। 1200– 2040 और रु. क्रमशः 1320–2040.

20.3 अंत में, जब 1998 के नियमों को जीओ एम.एस संख्या 162 के माध्यम से पेश किया गया, तो वेतनमान के पद–वार निर्धारण को वेतनमान–से–वेतनमान आधार निर्धारण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जैसा कि उक्त नियमों की अनुसूची । में पहले ही देखा जा चुका है, वेतनमान रु. ड्राइवरों के लिए लागू 975–1660 रुपये को संशोधित किया गया था। 3200– 4900. इसके लिए, अनुसूची ।। में निर्दिष्ट संबंधित चयन और विशेष ग्रेड रुपये थे। 4000–6000 और रु. क्रमशः 4300–6000.

21. इस पृष्ठभूमि में, हमें प्रतिवादियों की दलील में दम नजर आता है कि अपीलकर्ता वैध रूप से दावा किए गए चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान के हकदार नहीं हैं। 5000–8000 और रु. जीओ एम.एस संख्या 162 के संदर्भ में क्रमशः 5500–9000।

22. इसलिए, निपटाए जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता उन ड्राइवरों के साथ समानता का दावा करने के हकदार हैं जिन्हें अब तक उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के आदेशों के तहत लाभ दिया गया है, जैसा कि पैराग्राफ 5 में उल्लिखित है।

23. इस संबंध में, हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही था कि अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के बल पर ऐसी राहत का दावा नहीं कर सकते हैं, जब एक बार यह पाया गया कि वे कानूनी रूप से नहीं हैं उसी का हकदार है. यह अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 14 का उपयोग करके समान पद पर रखे गए किसी व्यक्ति को दिए गए लाभ का दावा नहीं कर सकता है, यदि वह पहले स्थान पर इस तरह के लाभ का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। अनुच्छेद 14 केवल सकारात्मक समानता की अवधारणा का प्रतीक है, न कि नकारात्मक समानता का, यानी किसी अवैधता या अनियमितता को कायम रखने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इस न्यायालय की राय है कि यह सिद्धांत न्यायिक मंचों द्वारा पारित आदेशों पर भी लागू होता है। इस प्रकार, निचले मंच द्वारा पारित गलत आदेश के आधार पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, बसवराज बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी , (2013) 14 एससीसी 81 में इस न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना उपयोगी होगा :

“8. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों का विस्तार करके भी नहीं है। उक्त प्रावधान नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है बल्कि इसका केवल सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ प्रदान किया

गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी समान राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि पहले के मामले में कोई गलती हुई है तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता। समानता एक घिसी–पिटी चीज़ है, जिस पर अवैधता का दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने के लिए उच्च या श्रेष्ठ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए। किसी विशेष पार्टी के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पार्टी को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 14 को बहुत अधिक नहीं खींचा जा सकता अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा। (चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह [(1995) 1 एससीसी 745: एआईआर 1995 एससी 705], आनंद बटन्स लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य [(2005) 9 एससीसी 164: एआईआर 2005 एससी 565], केके भल्ला बनाम। मध्य प्रदेश राज्य । [(2006) 3 एससीसी 581: एआईआर 2006 एससी 898] और फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य [(2010) 11 एससीसी 455: एआईआर 2010 एससी 1937]।)" इस प्रस्ताव की हाल ही में 3 द्वारा भी पुष्टि की गई थी। –ओडिशा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति (सिविल अपील संख्या 7295/2019, निर्णय दिनांक 16.09.2019) में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ।

24. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता रुपये के चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान का दावा नहीं कर सकते। 5000– 8000 और रु. क्रमशः 5500–9000, केवल उच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों के आधार पर, बिना यह दिखाए कि वे स्वयं, पहले स्थान पर इस तरह के लाभ के हकदार कैसे हैं। ऐसी स्थिति में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को केवल चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है, जिसके लिए वे जीओ एम.एस संख्या 162, यानी रुपये के संदर्भ में कानूनी रूप से हकदार हैं। 4000– 6000 और रु. क्रमशः 4300–6000.

25. इसलिए, पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तत्काल अपीलें खारिज की जाती हैं, और आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है। सिविल अपील @ एसएलपी [डायरी नंबर 42301/2017] देरी माफ की गई। अनुमति दी गई.

2. ये अपीलें 2013 के डब्ल्यूपी संख्या 2363 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 05.01.2015 के फैसले और आदेश के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर की गई हैं, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रधान सचिव, वित्त (वेतन सेल) विभाग ने किया है, और अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2017 ने जीओ एम.एस संख्या 162 के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित कुछ ड्राइवरों के वेतनमान अधिकारों के संबंध में 2016 के समीक्षा आवेदन संख्या 153 को खारिज कर दिया।

3. ये अपीलें वस्तुतः उसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुई हैं जैसी ऊपर निस्तारित की गई थीं। मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यरत संबंधित ड्राइवरों द्वारा 2013 की WP संख्या 2363 दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 63305/पे सेल/2010–1 दिनांक 08.11.2010 के पैराग्राफ 5 को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर सरकार ने उन्हें जीओ एम.एस संख्या के तहत 1998 के नियमों की अनुसूची ।। के क्रम संख्या 8 के अनुसार चयन और विशेष ग्रेड वेतनमान का लाभ देने से इनकार कर दिया था।

162. याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त शर्तों में वेतनमान के उचित निर्धारण के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की भी मांग की।

4. डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि ड्राइवर किसी भी पदोन्नति के हकदार नहीं थे, और इसलिए 1998 के नियमों की अनुसूची II के तहत उचित वेतनमान के पूर्ण लाभ के हकदार थे। आगे यह पाया गया कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा समान मामलों के निपटान को देखते हुए, ड्राइवर उक्त अनुसूची के क्रमांक 8 के तहत लाभ के हकदार थे। इसके खिलाफ दायर समीक्षा आवेदन भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संबंधित ड्राइवर किसी भी प्रमोशनल रास्ते के हकदार नहीं थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि ड्राइवर 1998 के नियमों की अनुसूची II के तहत उचित वेतनमान के पूर्ण लाभ के हकदार थे। हालाँकि, हमारे पूर्वगामी निष्कर्ष के आलोक में कि तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों में ड्राइवरों के पद पर कार्यरत व्यक्ति 1998 की अनुसूची II के क्रम संख्या 6 के अनुसार केवल साधारण, चयन और विशेष ग्रेड वेतनमान के हकदार हैं। नियम, यानी रुपये पर. 3200–4900 रु. 4000–6000 और रु. क्रमशः 4300–6000, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अनुसूची II के क्रम संख्या 8 के अनुसार उच्च न्यायालय में कार्यरत ड्राइवरों को ऐसे वेतनमान तय करने का निर्देश देकर गलती की है, जिसमें चयन ग्रेड और विशेष ग्रेड वेतनमान तय किए गए हैं। रुपये का भुगतान 5000–8000 और रु. क्रमशः 5500– 9000.

6. अपीलों को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि राज्य सरकार को जीओ एम.एस क्रमांक 162 के तहत 1998 के नियमों की अनुसूची II के क्रम संख्या 6 के संदर्भ में तत्काल अपीलों में उत्तरदाताओं को उपलब्ध वेतनमान लाभ तय करने का निर्देश दिया जाता है।

... .न्यायमूर्ति।

(मोहन एम. शांतनागौदर)

... ... न्यायमूर्ति

(कृष्ण मुरारी)

नई दिल्ली;

18 दिसंबर 2019

Translated & vetted by Mukesh Kumar Tiwari, III Additional District & Sessions Judge, Ambikapur Chhattisgarh.